संख्या–1616 / 9–आ–1–99–37 विविध / 1999

प्रेषक, **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 1999

विषय : प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अध्याय–8 के अधिनियम–41 के उपनियम–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुउ श्री राज्यपाल महोदय प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों क सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी करते हैं :–

(1) विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में अनुपूरक सहित 50 मद से ज्यादा मदें कार्यसूची में सम्मिलित न की जाय। यदि अपरिहार्य कारणों से अधिक मदें बोर्ड में ली जानी हों तो पुनः बैठक की जा सकती है। अधिक मदें होने के कारण उन पर समुचित रूप से विचार नहीं हो पाता है व जल्दी–जल्दी निपटाने का प्रयास किया जाता है, जो उचित नहीं है।

(2) कम से कम एक सप्ताह पूर्व कार्यसूची की सूचना सम्बन्धित को उपलब्ध करा दी जाय, ताकि उसके समुचित परीक्षणोरान्त नामित अधिकारी बैठक में भाग ले सकें।

(3) विधान मण्डल की बैठकों के दिन बोर्ड बैठक न की जाय। सामान्यतः सत्र के दौरान बैठक रखी ही न जाय।

2– उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव